


२०/१/१९. घटावली पेशा इरी, दमपण अर्थ
घटावली में अधिवक्ता प्रतिवादी सं०।
द्वारा प्रारम्भ ०७ R.II CPC का प्रारम्भ विषय
प्रतिवादी वकील को दे गरी। घटावली
वार्ते जवाब प्रारम्भ में १५-२५/१/१९ वर्ष
पेशा हो।

२५/१/१९- घटावली पेशा इरी, दमपण अर्थ प्रकरण
में प्रारम्भ प्रारम्भ ०७ R.II CPC के अन्वय का
अधिवक्ता वकील चालते हैं, अधिवक्ता
उन्हे विषय जाता है। घटावली वार्ते जवाब
प्रारम्भ ०७ R.II CPC हेतु ३० ३०/१/१९ वर्ष
पेशा हो।

३०/१/१९ पत्रावली पेशा इरी P.O. सा. चित्तौड़गढ़ मिरींग में पधार
उपपत्र सं. ३५३५११
अथ पत्रावली पुनर्निर्धार दिनांक ११/११/१९
का पेशा हो

३१.१०.१९ यह पत्रावली प्रारम्भ २१२ R.T. Act. में आज सुनवाई
होने से हजारों समस्त आज प्रस्तुत की गई। पत्रावली
में अधिवक्ता प्रतिवादी की ओर से दस्तावेज पंजीकृत
विक्रय पत्र दिनांक १७.१०.१९ आराजी सं. १३५५/३
एवं पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक १७.१०.१९ आराजी
सं. १३५५/५ के सम्बन्ध में प्रतिवादी अधिवक्ता
द्वारा प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि वादी राधेश्याम
पिता वही नारायण गोयल की ओर जीरे में मुख्यालय
आम वादी भुक्ता व मनीष पुत्र राधेश्याम मण्डल
द्वारा भौजा काठून्दा की आराजी सं. १३५५/३ स्कवा
०.०२०० हे. एव आराजी सं. १३५५/५ स्कवा
०.०२०० हे. भूमि के लिए भुक्त प्रतिवादी के
विरुद्ध अन्तर्गत धारा १८८ R.T. Act. में प्रस्तुत
किया था। चूंकि वादी खतियार द्वारा वर्णित भूमि
का पंजीकृत विक्रय विलेख से प्रेता खरज मल
पिता देवा गुर्जर निवासी वस्ती फतेरपुर के

अदालत
राम मुकन्ना
तारीख हुकम



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तारीख
में जारी हुए

नाम पर विक्रय पत्र निव्यादित कर दिया जाने से वर्तमान में वाही वर्णित भूमि के अब खालेदार नहीं रहे हैं। हावा कार्यवाही इसी स्टेज पर ड्राफ्ट करमादक जावे।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज पर हमने वाही गण अधिवक्ता व प्रतिवादी गण के अधिवक्ता को सुना - चूंकि वर्णित भूमि का जरिये पंजीकृत विक्रय द्वारा राधेकृष्ण ने क्रेता सूरज मल्ल गुर्जर के पक्ष में विक्रय पत्र निव्यादित कर दिया है, वाही का वाही वर्णित आराजी पर अब को एक अधिकार शेष नहीं रहता है, ऐसी स्थिति में इस हावा कार्यवाही को इसी स्टेज पर ड्राफ्ट किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः हावा पत्रावली इसी स्टेज पर ड्राफ्ट की जाकर पत्रावली केसल शुमार की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो।



31/10/19